



प्रेस नोट थाना बडागाँव



दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त को थाना बडागाँव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

(दिनांक-11/09/2024)

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी महोदय श्री राजेश एस के निर्देशन में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री अलोक कुमार के दिशा निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बडागाँव पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.09.24 को थाना हाजा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 258/24 धारा 87/64/316(2)/351(2) बीएनएस के अभियोग में वांछित अभि0 की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 11.09.2024 को थाना बडागाँव पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियान के क्रम में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वस्तु व तलाश वांछित अभि0 थाना स्थानीय से रवाना होकर प्रकाश में आये अभियुक्त अभिषेक उर्फ भोलू दोहरे पुत्र उमेश उर्फ शत्रुघन नि0 ग्राम गोकुलपुरा थाना कोतवाली जालौन जिला जालौन उ0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0- 258/24 धारा 87/64/316(2)/351(2) बीएनएस की गिरफ्तारी व तलाश हेतु ग्राम दिगारा में मामूर था कि मुखबिर खास की सूचना पर अभि0 मु0अ0सं0- 258/24 धारा 87/64/316(2)/351(2) बीएनएस को दिगारा पुल से खुशी ढाबा की तरफ जाने वाली हाइवे किनारे दूरी लगभग 300 मी0 के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त को अभियोग में वांछित अभि0 होना बताकर कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते आज दिनांक 11.09.24 को समय करीब 07.25 बजे सुवह नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभिषेक उर्फ भोलू दोहरे पुत्र उमेश उर्फ शत्रुघन नि0 ग्राम गोकुलपुरा थाना कोतवाली जालौन जिला जालौन उ0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष (प्रकाश में आया)

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-

1. थानाध्यक्ष अनुज सिंह गंगवार थाना बडागाँव जिला झाँसी
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना बडागाँव जिला झाँसी
3. का0 172 शिव सिंह थाना बडागाँव जिला झाँसी
4. का0 100 चन्द्रशेखर थाना बडागाँव जिला झाँसी

